

1.7.12

पंचायतली कोर्ट के मध्य कोचारेफा पर
 पेशा वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र के तम्य 88/502
 ग्राम मण्डपिया के आ.नं 43, 44, 45, 109/3,
 109/5 किला 05 हुल शकल 12 बीघा 11
 बिरला प्रायोगिक के नाम राजरज रेवाड में
 लकी भा रही है उक्त आराजियात पर
 आने जाने हेतु कोई निवृत्त शरत्ता नही
 ही वतमान में आने जाने हेतु ग्राम मण्डपिया
 के आ.नं 46 व 49 के उत्तर दिशा के पौने
 सड़का शरते का उपयोग उपसोम वास्त
 भा रहें हुसी गरते से प्रबल आते जाते
 थे परन्तु लिपसा में उक्त आराजा
 से आते जाते समय बाधा उत्पन्न वारत
 है उक्त आराजिके उत्तर दिशा में आते
 जाते रहें रेवाड में शरत्ता दर्ज किंच
 जावे/

पटवारी हुलका द्वारा बताया गया कि
 पतिवादी स.नं 01-आ.नं 48 में से शरत्ता
 का हुआ है एवं माने पर भी शरत्ता शुल्क
 हुआ है

पंचावली व शरत रेवार्ड का अवलोकन
विना गया। रिपोर्ट पटवारा अनुसार ग्राम
मण्डपिया के आ. नं. ५४ में शरत वना दुःख
होकर खुला हुआ है।

अलावा दी की प्रत्यक्ष पत्र शरीफार
विना जा कर प्रतिवादी मण्डपिया के
को ~~पत्र~~ स्पष्ट निषेधाज्ञा से बांध दिया
जाता है। विना मण्डपिया के आ. नं. ५४
पर शरत परसेवादी का अपना शाराही
पर आने जाने हेतु बाधा उत्पन्न न हो
करे व न अन्य प्रकार से।

आज यह निर्णय जेम्स कोर्ट की कार्यवाही
में मेरे काम शुद्धापा गया।

पंचावली पं. शाल शुमार होकर
नाम्बर से काम हो

(उम्मेद सिंह राजावत)

लोक अदालत

सहायक कलक्टर

फास्ट ट्रेक, भीलवाडा